डिकी मुकदमा इब्तदाई

(ओ 20 रूल 6–7 जाब्ता दीवानी)

अज अदालत उप जिला कलक्टर टोडाभीम

इजलास दुर्गा प्रसाद मीना (आर.ए.एस)

1. रामसहाय पुत्र रामफूल
2. रज्जू पुत्र रामफूल (मृतक)
   2/1 शिवराम पुत्र रामफूल
   2/2 विश्राम पुत्र रामफूल
   2/3 विजय सिंह पुत्र रामफूल
   2/4 छुट्टन पुत्र रामफूल
   2/5 राधेश्री पुत्री राजूलाल
   2/6 प्रेम पुत्री राजूलाल
   2/7 श्रीमति चतरा देवी पत्नि राजूलाल
3. लोहडे पुत्र रामफूल
   समस्त जातियान मीना निवासीयान डौरावली तहसील टोडाभीम

वादी

बनाम

1. रामचरण पुत्र बोदया
2. मिठल्ली पुत्र बोदया
3. हजारी पुत्र बोदया
4. गिर्राज पुत्र बोदया
5. हरीसिंह पुत्र छाज्या
6. अमरसिह पुत्र छाज्या
   समस्त जातियान मीना निवासीयान डौरावली तहसील टोडाभीम।
7. तहसीलदार टोडाभीम जिला करौली।

प्रतिवादीगण

मु0न0. 42/15

दावा वावत घोषणा खातेदारी व इन्द्राज दुरुस्ती

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबई श्री रामभरोसी गुप्ता एडवोकेट व हाजरी .... मिनकानिव गुदई रूबरू.हमारे मिनजानिब मुदायलह पेश होकर हुक्म दिया .... [redacted] डिकी दी जाती है। कि

अतः दस्तावेजी रिकार्ड एवं वादी वकील की बहस के अनुसार दावा वादीगण खिलाफ प्रतिवादीगण डिकी किया जाता है तथा वादीगण को ग्राम डौरावली से बने नये राजस्व ाम कमालपुरिया की आराजी ख0न0 95/0.18, 96/0.32, 98/0.74, 103/0.29, 105/0.12, 08/0.28, 109/0.37 कुल रकवा 2.30 है0 मे हिस्सा 1/2 का खातेदार काश्तकार घोषित किया ाता है। तथा उक्त खसरा नम्बरान मेसे प्रतिवादीगण के नाम हजफ करने के आदेश दिए जाते है। क ऋण को अंकन बदस्तूर रहेगा।

निज......—......मुबलिंग.........—.........बाबत.........—.........खर्चा इस मुकदमे के मय

द बशरह.........—.........फीसदी सालाना आज की तारीख से तारीख अदायगी तक..............अदा करे।

बसब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज दिनांक 01.07.2019 को जारी की गई।

दस्तखत.... 1/7/19 उपजिला कलक्टर

ओहदा....टोडाभीम (करौली)

न्यायालय उप जिला कलक्टर टोडाभीम जिला करौली

10 42/15 तारीख रजू:– 19.06.15

पीठासीन अधिकारी:– दुर्गा प्रसाद मीना (आर.ए.एस)

उनवान

1. रामसहाय पुत्र रामफूल
2. रज्जू पुत्र रामफूल (मृतक)
   2/1 शिवराम पुत्र रामफूल
   2/2 विश्राम पुत्र रामफूल
   2/3 विजय सिंह पुत्र रामफूल
   2/4 छुट्टन पुत्र रामफूल
   2/5 राधेश्री पुत्री राजूलाल
   2/6 प्रेम पुत्री राजूलाल
   2/7 श्रीमति चतरा देवी पत्नि राजूलाल
3. लोहडे पुत्र रामफूल
   समस्त जातियान मीना निवासीयान डौरावली तहसील टोडाभीम

वादी

बनाम

1. रामचरण पुत्र बोदया
2. मिठल्ली पुत्र बोदया
3. हजारी पुत्र बोदया
4. गिर्राज पुत्र बोदया
5. हरीसिंह पुत्र छाज्या
6. अमरसिह पुत्र छाज्या
   समस्त जातियान मीना निवासीयान डौरावली तहसील टोडाभीम।
   तहसीलदार टोडाभीम जिला करौली।

प्रतिवादीगण

दावा वावत घोषणा खातेदारी एवं इन्द्राज दुरूस्ती
उपस्थिति:– श्री रामभरोसी गुप्ता एडवोकेट (वादी)

निर्णय **दिनांक:– 01.07.2019**

संक्षेप मे प्रकरण इस प्रकार है कि इस प्रकार है कि साबिक ख0न0 721 रकवा 3 बीधा 4 विस्वा, 728 रकवा 4 बीधा 4 विस्वा कुल किता 2 कुल रकवा 7 बीधा 8 विस्वा ग्राम डौरावली तहसील टोडाभीम जिसका हाल ग्राम कमालपुरिया तहसील टोडाभीम के हिस्सा 1/2 को पूर्व खातेदार बादेया, छाज्या पि0 जौहरी जाति मीना निवासी डौरावली से जरिए रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 13.4.1983 को खरीद किया इस विक्रय पत्र के आधार पर रामफूल के हक मे नामांतकरण तस्दीक हुआ है। नामांतकरण का नोट जमाबन्दी सम्वत 2038–41 मे दर्ज हो गया। लेकिन उस समय भू–प्रबन्ध विभाग की कार्यवाही तहसील क्षेत्र टोडाभीम मे चल रही थी। भू–प्रबन्ध विभाग की गलती व भूल से इस विक्रय पत्र व नामांतकरण को आधार वर्ष सम्वत 2043–2062 की जमाबन्दी मे अमल नही हुआ। यह एक लिपिकीय भूल थी। उक्त भूमि मे रामफूल हिस्सा 1/2 का खातेदार काश्तकार है। रिकार्ड जमाबन्दी मे खातेदारी कराने का हकदार है।

भू–प्रबन्ध विभाग की भूल से आज भी रिकार्ड मे खातेदारी बोद्या छाज्या की मृत्यु के बाद इनके पुत्रो के नाम विरासत मे आ गयी है। साबिक ख0न0 721 रकवा 3 बीधा 4 विस्वा,

उपजिला कलक्टर
टोडाभीम (करौली)

Scanned by CamScanner

रकबा 4 बीघा 4 बिस्वा कुल किता 2 कुल रकबा 7 बीघा 8 बिस्वा से नवीन ख0नं0 95/0.18, /0.32, 98/0.74, 103/0.29, 105/0.12, 108/0.28, 109/0.37 कायम हुए है। यह भूमि या व छाज्या के वारिसान के नाम दर्ज है। वादीगण के पिता रामफूल ने कुल रकबा 7 बीघा 8 वा मे 1/2 हिस्सा अर्थात 3 बीघा 4 बिस्वा भूमि क्रय की है। जिसका वर्तमान मे क्षेत्रफल 0.93 होता है। इस प्रकार वादीगण गत ख0नं0 721, 728 से बने नवीन ख0नं0 मे हिस्सा 1/2 की तेदारी दर्ज कराने के हकदार है। अतः दावा वादीगण खिलाफ प्रतिवादीगण 1 ता 6 घोषणा तेदारी एवं इन्द्राज दुरूस्ती डिक्री किया जाकर हाल ख0नं0 95/0.18, 96/0.32, 98/0.74, 3/0.29, 105/0.12, 108/0.28, 109/0.37 ग्राम कमालपुरिया मे हिस्सा 1/2 का वादीगण को स्सा बराबर का खातेदार काश्तकार घोषित किया जावे।

दावा दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादीगण को जरिए सम्मन तलब किया। प्रतिवादी नं0 7 वजूद सूचना उपस्थित नही होने से एक पक्षीय कार्यवाही की गई। 1 ता 6 की ओर से श्री शील कुमार जिन्दल एडवोकेट ने वकालतनामा पेश किया। जवाब दावा पेश किया कि तथाकथित क्रय पत्र दिनांक 13.4.83 को फर्जी होने से अस्वीकार है। वादीगण का उक्त विवादित राजीयात पर कब्जा नही है। भू-प्रबन्ध विभाग द्वारा लिपकीय त्रुटी नही की गई है। विरासत से तेवादगण के नाम भूमि आयी है। दावा गलत पेश किया है खारिज फरमाया जावे।

प्रकरण मे निम्न प्रकार तनकीयात कायम की गई:-

1. आया यह है कि ग्राम कमालपुरिया का पुरा के गत ख0नं0 721 रकबा 3 बीघा 4 बिस्वा, 728 रकबा 4 बीघा 4 बिस्वा के हिस्सा 1/2 को पूर्व खातेदार बोदया, छाज्या पि0 जोहरी से रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 13.4.83 को खरीद किया है। वादीगण के बुजुर्ग रामफूल के हक मे नामांतकरण खोला जाकर नोट जमाबन्दी सम्वत 2038-41 मे दर्ज हो गया है।
(जिम्मेवादी)

2. आया यह है कि भू-प्रबन्ध विभाग ने इस नोट का अंकन जमाबन्दी आधार वर्ष 2043-62 मे रामफूल के नाम नही की जो लिपकीय भूल है। उक्त भूमि मे रामफूल हिस्सा 1/2 का खातेदार काश्तकार है। अपने हक मे राजस्व रिकार्ड मे नाम अंकन कराने का हकदार है।
(जिम्मेवादी)

3. आया यह है कि गत ख0नं0 721, 728 के कुल रकबा 7 बीघा 8 बिस्वा के नवीन कायम नम्बर 95,96,98, 103,105, 108, 109 जो बोदया, छाज्या के वारिसान के नाम दर्ज है मेरे 1/2 हिस्सा की खातेदारी रामफूल के वारिस वादीगण अपने नाम कराने के हकदार है।
(जिम्मेवादी)

4. आया यह है कि वादीगण द्वारा तथाकथित रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 13.4.83 फर्जी होने से अस्वीकार है वादीगण को विवादित आराजीयात पर कोई कब्जा नही है। भू-प्रबन्ध विभाग ने कोई गलती नही की है। वादीगण को रिकार्ड दुरूस्त कराने का हक नही है।
(जिम्मे प्रतिवादी)

5. आया यह है कि बोदया व छाज्या की मृत्यु के पश्चात प्रतिवादी नं0 1 ता 6 के नाम खुले नामांतकरण को वादीगण ने जानकारी होने के बावजूद अपील नही की। वादीगण का कब्जा विवादित भूमि पर नही है। दावा वादीगण खारिज योग्य है।
(जिम्मे प्रतिवादी)

वादी की ओर से दावे के समर्थन मे मिलान क्षेत्रफल सम्वत 2043-2062 प्रदर्श-1 विक्रय पत्र तारीखी 13.4.1983 प्रदर्श-2 नकल जमाबन्दी सम्वत 2068-71 ग्राम कमालपुरिया प्रदर्श-3 नकल जमाबन्दी सम्वत 2038-41 ग्राम डौरावली प्रदर्श-4 नकल जमाबन्दी सम्वत 2038-41 ग्राम डौरावली प्रदर्श-5 नकल नामांतकरण संख्या 226 ग्राम डौरावली प्रदर्श-6 रिपोर्ट पटवारी हल्का प्रदर्श-7 दस्तावेज प्रस्तुत किए है। तथा वादी लोहडे राम का शपथ पत्र प्रस्तुत किया है। वकील प्रतिवादी ने इनसे जिरह की।

इसके पश्चात दिनांक 13.6.19 को प्रतिवादी वकील एवं प्रतिवादीगण उपस्थित नही हुए गाही इनकी ओर से प्रतिवादी साक्ष्य प्रस्तुत की। उपस्थित नही होने से इनके विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही की गई।

उपजिला कलक्टर
टोडाभीम (करौली)

नकी न0 1:– वादी ने ग्राम डौरावली के गत ख0न0 721 रकवा 3 बीधा 4 बिस्वा एवं 728 रकवा बीधा 4 बिस्वा के हिस्सा 1/2 को पूर्व खातेदार बादया, छाज्या पि0 जौहरी से रजिस्टर्ड विक्रय त्र तारीखी 13.4.83 को क्रय किया है। जिसके समर्थन मे मूल रजिस्टर्ड विक्रय पत्र प्रदर्श–2 स्तुत किया है। तथा वादीगण के बुजुर्ग रामफल के नाम नामांतकरण संख्या 226 ग्राम डौरावली दर्श–6 प्रस्तुत किया है। जिसमे क्रेतागण के नाम नामांतकरण स्वीकार हुआ है। नकल जमाबन्दी म्वत 2038–41 ग्राम डौरावली प्रदर्श–4 के खाता संख्या 57 मे नामांतकरण का अंकन हो रहा है। स प्रकार दस्तावेजी सबूतो से वादी ने तनकी न0 1 साबित की है। अतः तनकी न0 1 वादी खिलाफ प्रतिवादीगण तय की जाती है।

तनकी न0 2 व 3 :– वादी ने नकल जमाबन्दी सम्वत 2068–71 प्रदर्श–3 प्रस्तुत की है जिसमे जरिए रजिस्टर्ड विक्रय पत्र खरीद की गई भूमि रामफूल के नाम का अंकन न कर विक्रता गणो के वारिसान के नाम दर्ज कर है। साबिक ख0न0 721, 728 के कुल रकवा 7 बीधा 8 बिस्वा से नवीन कायम नम्बर 95, 96, 98, 103, 105, 108, 109 कुल रकवा 2.30 है0 के संबध मे मिलान क्षेत्रफल सम्वत 2043–62 प्रदर्श– 1 प्रस्तुत किया है। उक्त खसरा नम्बरान मे वादीगण जो कि क्रेता रामफूल के वारिस है ने साबिक रिकार्ड से साबित किया है कि वादीगण हिस्सा 1/2 की खातेदारी अपने नाम कराने के हकदार है। इस प्रकार दस्तावेजी सबूतो से वादी ने तनकी न0 2 व 3 साबित की है। अतः तनकी न0 2 व 3 वादी बखिलाफ प्रतिवादीगण तय की जाती है।

प्रतिवादीगण ने नतो साक्ष्य प्रस्तुत किए और नाही तनकी नम्बर 4 व 5 साबित किए है। बल्कि मुकदमे की पैरवी ही नही की। अतः तनकी न0 4 व 5 तय किया जाना उचित प्रतीत नही होता है।

वादी वकील ने बहस मे कथन किया कि दावा वादी साबिक रिकार्ड से साबित है। नवीन राजस्व रिकार्ड मे वादीगण का नाम दर्ज कराकर खातेदार काश्तकार घोषित किया जावे तथा प्रतिवादीगण द्वारा उक्त आराजीयात पर बैक से जो ऋण प्राप्त किया है। ऋण का अंकन जमाबन्दी मे है। यह अंकन मेरी खातेदारी की भूमि मे दर्ज कर दिया जाता है तो मुझे कोई आपत्ति नही है।

आदेश

वादीगण दस्तावेजी सबूतो रजिस्टर्ड विक्रय पत्र तारीखी 13.4.83 नामांतकरण सख्या 226 एवं नकल जमाबन्दी सम्वत 2038–41 से यह साबित करने मे सफल रहे है कि रामफूल ने जिन्सी, बोदया पि0 छाज्या से साबिक ख0न0 721 रकवा 3 बीधा 4 बिस्वा एवं 728 रकवा 4 बीधा 4 बिस्वा मेसे 1/2 हिस्सा जरिए रजिस्टर्ड विक्रय पत्र क्रय किया है। तथा जमाबन्दी सम्वत 2038–41 मे नामांतकरण का अंकन हो रहा है। दौराने भू–प्रबन्ध कार्यवाही नवीन राजस्व रिकार्ड मे क्रेतागणो का नाम खातेदार के रूप मे दर्ज नही किया है। तथा विक्रेतागणो के नाम ही दर्ज कर दिए है। विक्रेतागणो की मृत्यु के पश्चात उक्त आराजीयात वारिसान प्रतिवादीगण के नाम दर्ज हो गई है। ग्राम डौरावली से नवीन राजस्व ग्राम कमालपुरिया बना है। जिसमे उक्त वर्णित आराजीयात ग्राम कमालपुरिया मे शामिल की गई है। दौराने बहस वादी वकील ने यह स्वीकार किया है कि वर्णित आराजीयात मे बैक ऋण का हमारी खातेदारी मे दर्ज रहता है तो कोई आपत्ति नही है। अतः दस्तावेजी रिकार्ड एवं वादी वकील की बहस के अनुसार दावा वादीगण बखिलाफ प्रतिवादीगण डिक्री किया जाता है तथा वादीगण को ग्राम डौरावली से बने नये राजस्व ग्राम कमालपुरिया की आराजी ख0न0 95/0.18, 96/0.32, 98/0.74, 103/0.29, 105/0.12, 108/0.28, 109/0.37 कुल रकवा 2.30 है0 मे हिस्सा 1/2 का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। तथा उक्त खसरा नम्बरान मेसे प्रतिवादीगण के नाम हजफ करने के आदेश दिए जाते है। बैक ऋण को अंकन बदस्तूर रहेगा। पर्चा डिक्री जारी हो।

आदेश आज दिनांक 01.07.2019 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

01/7/19

(दुर्गा प्रसाद मीना)
उपजिला कलेक्टर
टोडाभीम (करौली)
उपखण्ड मजिस्ट्रेट
टोडाभीम जिला करौली

न्यायालय उपजिला कलेक्टर

Scanned by CamScanner